

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपयुक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर अशोकनगर एवं शिवपुरी जिले में लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना (केन-बेतवा लिंक परियोजना) के निर्माण हेतु 968.24 हेक्टेयर वनभूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण भोपाल को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	--

दिनांक: 20.04.2016
स्थान: भोपाल

हरताक्षर (रमेश कुमार श्रीवास्तव)
नाम साफ अक्षरों में
पद नाम गण्यप्रदेश शासन, वन विभाग
(सरकारी मोहर)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)